न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी –नीलम लखारा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 15/2018 वाद

अनवान

1. रमेश पिता धीरा भील, निवासी माण्डवाफला कागदर (आबनकाड), तहसील ऋषभदेव।
2. मणीलाल पिता धीरा भील, निवासी माण्डवाफला कागदर (आबनकाड), तहसील ऋषभदेव।
3. धुली पत्नी धीरा भील, निवासी माण्डवाफला कागदर (आबनकाड), तहसील ऋषभदेव।

– वादी

बनाम

1. मणीलाल पिता रामजी मीणा भील, निवासी माण्डवाफला कागदर (आबनकाड), तहसील ऋषभदेव।
2. मंगलसिंह पिता रामजी मीणा, निवासी माण्डवाफला कागदर (आबनकाड), तहसील ऋषभदेव।
3. श्रीमति आशा पत्नी मंगलसिंह मीणा भील, निवासी माण्डवाफला कागदर (आबनकाड), तहसील ऋषभदेव।
4. श्रीमति गेन्दा पत्नी मणीलाल मीणा भील, निवासी माण्डवाफला कागदर (आबनकाड), तहसील ऋषभदेव।
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सा0 ऋषभदेवं।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

दिनांक – 15.10.2019

आदेश

वादी द्वारा संस्थित वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, मौजा आबनकाड पटवार सर्कल माण्डवाफला कागदर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 की खाता संख्या नये 5 एवं पुराने 5 पर आराजी नम्बर 4685 रकबा 2.15 कुल किता 1 कुल रकबा 2.15 है0 कुल लगानी 0.01 रूपये स्थित है। जो वादी के खुद काश्त व खातेदारी की है। वादीगण एवं अन्य सहरिश्तेदार श्री बाबुलाल तथा शान्ता, जमना, हांजु, सविता का संयुक्त रुप से 8/54 हिस्सा दर्ज है। सहखातेदार रामलाल, नारायण, मीरा, तुलसा, बसन्ति पिता मरता, हीरकी की बेवा मरता 1/6 हिस्सा तथा सहखातेदार बदा, लिम्बा पिता कोदरा भील का 2/3 हिस्सा दर्ज है।

उक्त कृषि भूमि संयुक्त खाते दर्ज है। लेकिन मौके पर सभी खातेदार अलग–अलग काबिज होकर काश्त कर फसल प्राप्त कर रहे है। वादी संख्या 01 को उपर वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की भूमि के पास में आपसी पाती बंटवाडे में हक हिस्सा व अधिकार दिया गया है।

प्रतिवादी संख्या 01 से 04 द्वारा मिलिभगत कर वादीगण के खसरा संख्या 4685 रकबा 2.'15 हैक्टर में वादी संख्या 01 के हिस्से में आये क्षैत्र में दिनांक 15.06.2015 को अतिक्रमण द्वारा करीब 40–50 फीट क्षेत्र में जबरन प्रवेश कर खड्डे खोदना एवं थुअर की बाड लगााने का कार्य प्रतिवादी संख्या 01 से 04 द्वारा वाद वर्णित कृषि भूमि के एक हिस्से पर वादीगण को परेशान कर भगा देने की नियत से दिनांक 15.06.2018 को अतिक्रमण द्वारा करिब 40–50 फीट क्षेत्र में जबरन प्रवेश कर खड्डे खोदना एवं थुअर की बाड लगाने का कार्य प्रतिवादी संख्या 01 से 04 द्वारा शुरु कर दिया। तथा प्रतिवादी संख्या 03 से 04 द्वारा इसी रंजीश की भावना से वादीगण को परेशान कर भगा देने की नियत से दिनांक 15.06.2018 को वादी संख्या 03 एवं अन्य परिजनों के साथ घर में जबरन प्रवेश

कर मारपीट कर चौटै पहुचाई गई है। निरन्तर धमकीया देकर इस वर्ष अब बारिस के मौसम में फसल नहीं बोने देने से रोकने तथा अतिक्रमण द्वारा जबरन बेकदखल करने पर उतारु होकर वादी के शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग करने पर आमादा होने से उत्पन्न हुआ है तथा प्रतिदिन उत्पन्न हुआ है। दिनांक

इस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 28.06.2018 को प्रतिवादीगण के बाद तामिली सम्मन्न प्राप्त हुए प्रतिवादीगण उपसिथत हुए तथा जवाब हेतु समय चाहा जो दिया गया। दिनांक 26.09.2019' तक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर बंद किया गया। तथा एकतरफा कार्यवाही प्रारम्भ की गई। साक्ष्य वादी में वादी द्वारा स्वयं की साक्ष्य पी डब्ल्यू 1 दर्ज कराई गई। तथा एक स्वतंत्र गवाह अमृत लाल की साक्ष्य पी डब्ल्यु 2 दर्ज कराई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा मौजा आनकाड पटवार सर्कल माण्डवाफला कागदर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 खाता संख्या नये 5 एवं पुराने 5 की नकल प्रस्तुत की गई, एवं मौके के फोटो ग्राफ प्रस्तुत किये गये।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रकरण के तथ्यों पर मनन किया गया। वादीगण वाद वर्णित कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य व राजस्व रिकार्ड के क्रम में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा आबनकाड पटवार सर्कल माण्डवाफला कागदर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 की खाता संख्या नये 5 एवं पुराने 5 पर आराजी नम्बर 4685 रकबा 2.15 कुल किता 1 कुल रकबा 2.15 है0 कुल लगानी 0.01 रूपये स्थित है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से विधि विरुद्ध दखलन्दाजी नहीं करे, न अन्य से करावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होवे।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2019.11.25 15:30:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: